फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री शंकार — बनाम — विपक्षी श्री भगवानलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या 06/2022

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 28.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकरान की विपक्षी द्वारा दिनांक 26.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में प्रार्थीगण जिस भूमि की पत्थरगढी करवाने चाहते है। वह हमारे परिवार की मौरूसी जायदाद है जिसका लेकर आप माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद अभी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की पत्रावली में गया हुआ है साथ ही स्थगन प्रकरण संख्या 35/25 प्रार्थना पत्र अनवान नानी बाई बनाम मोहन आप माननीय न्यायालय में विचाराधीन होकर नियत है जिसकी जानकारी इस प्रकरण के प्रार्थीगण को अच्छी तरह से है एवं उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर प्रार्थीगण ने पत्थरगढी का प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस प्रकरण के प्रार्थीगण पत्थरगढी की आड में विपक्षीगण से जबरन मौरूसी जायदाद से कब्जा छिनना चाहते है एवं स्थगन पत्रावली के तथ्यों को छिपाकर बदनियती से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम का खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता विपक्षी द्वारा विपक्षी की तरफ से उक्त प्रार्थना पत्र पर जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं आधिपत्य की जमीन की पत्थरगढी कराने चाहते है जिनका उनको विधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि पत्थरगढी मात्र सीमाकन के लिये की जाती है उससे कोई हक अधिकार तय नहीं होते हैं। प्रार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार के तथ्य छिपाये नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर मौजा लूणदा पटवार हल्का लूणदा तहसील कानोड की खाता न. 138 की आराजी न. 504, 505, 506, 511, 515 किता 5 रकबा 0.8300 है. भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि से संबंधित मूल वाद राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। अतः मूल वाद विचाराधीन होने से प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के पश्चात पुनः पेश किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:51:01 IST
Reason: SelfAttested